भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1076 जिसका उत्तर गुरुवार, 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय मुकदमा नीति और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सुधार

1076. श्री संजय कुमार झा :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार राष्ट्रीय मुकदमा नीति तैयार करने का विचार रखती है क्योंकि देश में मुकदमेबाजी की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है ;
- (ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति का ब्यौरा और रूपरेखा क्या है ;
- (ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मुकदमों की संख्या कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;
- (घ) यदि हां, तो उक्त कदमों के क्या परिणाम हैं ;
- (ङ) क्या सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सुधार ला रही है ; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

- (क) और (ख): राष्ट्रीय मुकदमा नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
- (ग) और (घ): मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:
 - माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को वर्ष 2015, 2019 और 2020 में उत्तरोत्तर संशोधित किया गया है ताकि माध्यस्थम् प्रक्रिया को लागत और समय प्रभावी बनाया जा सके और न्यायालय के हस्तक्षेप को कम किया जा सके ।
 - ii. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था, तािक, अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थन-पूर्व मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान किया जा सके । इसका उद्देश्य पक्षों को मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करना है ।

- iii. भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम्, 2019 को संस्थागत माध्यस्थम् की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के उद्देश्य से भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।
- iv. मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद के पक्षकारों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता के लिए विशेष रूप से संस्थागत मध्ययकता के लिए कानूनी रूपरेखा अधिकथित करता है, जिसमें देश में एक मजबूत और प्रभावकारी मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न पणधारियों की पहचान भी की गई है।

एडीआर तंत्र के संबंध में विधायी सुधारों ने वाणिज्यिक विवादों के समय पर और प्रभावकारी निपटान को सुकर बनाया है, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई है। मध्यकता अधिनियम, 2023 से मध्यकता पर एक स्वतंत्र विधि प्रदान करने और न्यायालय के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की संस्कृति के विकास को सक्षम करने और परिणाम को पक्षकार द्वारा संचालित करने की दिशा में एक प्रधान विधायी हस्तक्षेप है।

(ङ) और (च) : सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सुधार करने के लिए कोई विधायी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।
